न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –63/2023–निगरानी

विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाडा –निगराकार	बनाम 1. रामेश्वर पुरी / नाथु पुरी गोस्वामी निवासी मानगंज, ग्राम पंचायत मोटरों का खेडा तहसील माण्डलगढ 2. सरपंच ग्राम पंचायत मोटरों का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा 3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मोटरों का खेडा तहसील माण्डलगढ – गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायंती राज अधिनियम बाबत निरस्त करानें पट्टा विलेख 4562 दिनांक 30.10.2017 जारी द्वारा ग्राम पंचायत मोटरों का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

उपस्थित–

1. विभागीय पेरोकार– निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 01.08.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 2 व 3 ग्राम पंचायत मोटरों का खेड़ा के द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पास जो नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा क्रमांक 4562 दिनांक 30.10.2017 को जारी किया गया वह नियम विरुद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टाधारी को नियम विरुद्ध कार्यवाही की जाकर चारागाह भूमि आराजी नम्बर 150, 158 में पट्टा सख्या 4562 दिनांक 30.10.2017 को जारी किया गया जो नियम विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा चारागाह भूमि आराजी नम्बर 150,158 निगराकार संख्या 01 के नाम पुश्तैनी मकान के मूखण्ड का पट्टा जारी करने हेतु पत्रावली संख्या 30 दिनांक 13.07.2017 कायम की गयी जिसमें पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145, 146, 147, 148, 149 व 157 की अवहेलना की जाकर कार्यवाही की गयी है। पत्रावली में उपलब्ध

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा